



2026:AHC:29844

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1983 सन् 2026

वीरेंद्र कुमार
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : अम्बुज मौर्य, आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, वरिष्ठ
अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विजय गौतम, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अतिप्रिया गौतम की ओर से श्री अंबुज मौर्य (एओआर ए/ए 1728/2023), और श्री जितेंद्र प्रसाद, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
- श्री जितेंद्र प्रसाद, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने बार में एक बयान दिया है कि उनके पास निर्देश हैं और वह इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय किया जा रहा है।
- रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 01.01.1984 को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें वर्ष 2007 में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था और वह 30.09.2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, अब 28.01.2024 को वेतन का पुनः निर्धारण और 01.10.2008 से वसूली आदेश दिया गया है और परिणामी वसूली 09.12.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की गई जानकारी द्वारा निर्देशित की गई है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि आक्षेपित आदेश रिट याचिकाकर्ता की पीठ के पीछे एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। निवेदन यह है कि यह धोखाधड़ी, छिपाने या गलत बयानी का मामला भी नहीं है। भगवान शुक्ल बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो कुछ भी हो सकता है, नियोक्ता के लिए उस त्रुटि को सुधारने के लिए हमेशा खुला रहता है जो दर्ज की गई है, हालांकि, उनके अनुसार, चूंकि राशि वसूल की गई है और रिट याचिकाकर्ता के आरोप के साथ कि उसकी सुनवाई नहीं हुई है, रिट याचिकाकर्ता को सुना जाएगा और उस संबंध में परिणामी आदेश पारित किए जाएंगे।
- बार में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और रिकॉर्ड को देखने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि एक बार जब नागरिक परिणामों से संबंधित एक प्रतिकूल आदेश पारित हो जाता है तो प्रभावित पक्ष को नोटिस करने के बाद भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान शुक्ल (उपरोक्त) में, जिसमें निम्नलिखित देखा गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह तय किया गया था, इस पर विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये पैन से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। 1991 में पूर्वव्यापी रूप से 18.12.1970 से। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों के साथ देखा गया है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उनका वेतन कम करने से पहले उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया था और कानून के अनुसार ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी पीठ पीछे आदेश दिया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कार्रवाई में निष्पक्ष कार्रवाई इस बात की गारंटी देती है कि ऐसा कोई आदेश जिसमें किसी कर्मचारी के नागरिक परिणामों को भुगतने का प्रभाव हो, संबंधित को नोटिस दिए बिना और मामले में उसे सुनवाई दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि, ऐसा नहीं किया गया था, आदेश (ज्ञापन) दिनांक 25.7.1991। जिसे न्यायाधिकरण से पहले आरोपित किया गया था, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सका और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में गलती कर गया। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने का हकदार है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 25.7.1991 के आदेश (ज्ञापन) को रद्द करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता के मूल वेतन को 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।"

6. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया जा रहा है-

(क) रिट याचिकाकर्ता 27.02.2026 तक कमांडेंट, 8वीं बटालियन, पीएसी बरेली, जिला बरेली के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व पसंद करेगा और उक्त प्रस्ताव पर, चौथे प्रतिवादी कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और रिट याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण मांगेगा और उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर परिणामी आदेश पारित करेगा।

(ख) इस प्रकार की गई कोई भी वसूली और चौथे प्रतिवादी द्वारा पारित दिनांक 28.01.2024 और 09.12.2025 के आदेश पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन होंगे। यदि सुनवाई के बाद, यह पाया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान किया जाना है, तो परिणामी आदेश पारित किए जाएंगे।

7. यदि चौथे प्रतिवादी की राय है कि मामले को किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा तय करने की आवश्यकता है, तो कागजात उसी को प्रेषित किए जाएं।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"